

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 938वी बैठक दिनांक 16.02.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/ पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परिवेश	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9656/2023	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	11037/2023	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	11187/2023	1(a)	रायसेन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	11151/2023	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं		निरस्त
5.	9193/2022	1(a)	इन्दौर	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं		निरस्त
6.	10964/2023	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं		निरस्त
7.	11220/2023	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं		निरस्त
8.	P2/789/2024	1(a)	देवास	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/793/2024	1(a)	देवास	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/2187/2025	1(a)	श्यापुर	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/2188/2025	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वीं बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

12.	P2/2189/2025	1(a)	सागर	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	11118/2023	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	11174/2023	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1052/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	P2/751/2024	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
17.	P2/746/2024	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
18.	P2/740/2024	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2/2181/2025	1(a)	विदिशा	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/2182/2025	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	For Guidance	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
21.	P2/1500/2025	1(a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	P2/1407/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
23.	P2/1819/2025	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
24.	P2/1363/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
25.	P2/1406/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

1. Proposal No. SIA/MP/MIN/438584/2023, Case No 9656/2023 Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry (Opencast Semi-mechanised method) in an area of 3.370 ha. for production capacity of 16854 tonne per annum and Saleable Waste – 6360 Cub per annum, at Khasra No. 116, 117, 118, Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) by Shri Akash Rawat, Proprietor, M/s Rawat Minerals, R/o Purani Basti, Jalpa Devi Ward, District-Katni (MP)-483501


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 एवं 686वी बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 एवं 686वी बैठक दिनांक 04.10.2023 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 12138-39 दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.09.2052 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 08 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 50 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं वृक्षों के काटने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


(दीपक आर्वा)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2. Proposal No. SIA/MP/MIN/451364/2023, Case No 11037/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-mechanised method), in an area of 1.50 ha., for production capacity of 5842 cum per year, at Khasra No. 63/2, 63/4, Village-Rabadya, Tehsil-Athner, District-Betul (MP) by Shri Rajendra Kiledar, Lessee, R/o Bazar Chowk, Bhainsdehi, District-Betul (MP)-460220

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 एवं 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 एवं 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 01.12.2017 के अनुसार उक्त लीज दिनांक 19.09.2027 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.09.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 03 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 30 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं वृक्षों के काटने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्ष) 
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) 
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान) 
अध्यक्ष

3. Proposal No. SIA/MP/MIN/451001/2023, Case No. 11187/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-mechanised method), in an area of 2.429 ha., for Production capacity 7276.5 cum per year, at Khasra No. 2/1/1/1, in Village- Kakrua, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP) by Shri Sanjeev Samaiya S/o Shri Babulal Jain, Owner, R/o Makan No. 864/1, Ward No. 9, Holi Chowk, District-Raisen (MP)-464886


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 एवं 785वी बैठक दिनांक 15.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 एवं 785वी बैठक दिनांक 15.04.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 28.10.2016 के अनुसार उक्त लीज दिनांक 06.02.2027 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.02.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं नदी से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/450013/2023, Case No 11151/2023, Prior Environment Clearance for Stone Quarry(Open cast Semi-mechanised method), in an area of 1.00 ha., for Production capacity of 15129 cum per year, at Khasra No. 176, 178, Village-Munghawa, Tehsil-Singrauli, District- Singrauli (MP) by Shri Yogesh Singh S/o Arun Singh, Owner, R/o Gram- Makrohar, Post-Makrohar, District-Singrauli, (MP)-486886

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" The case was scheduled for the presentation wherein it was observed by committee that PP vide letter dated 08.01.2026 has submitted a request for withdrawal of their application. Earlier, PP was also absent in the 760th SEAC Meeting Dated 29/05/2024 & 784th SEAC Meeting Dated 09/04/2025. Committee decided that on the request of PP, case may be considered for delist, forwarded to SEIAA for necessary orders.."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08.01.2026 को SEAC समिति के समक्ष Withdraw किये जाने हेतु किये गये आवेदन एवं SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

१२

5. Proposal No. SIA/MP/MIN/269799/2022, Case No 9193/2022 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Open cast Semi-mechanised method) in an area of 1.20 ha. for production capacity of 10000 Cum per annum, at Khasra No. 178/228/1, Village - Alwasa, Tehsil - Hatod, Dist. Indore (MP) by Shri Jitendra Yadav S/o Shri Ramnaresh Yadav, A-2, Mandakini Block, Kevihgar Line 1, Batalian, Dist. Indore, MP - 453111.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा कार्यालय तहसीलदार, तहसील-हातोद, जिला-इन्दौर के पत्र क्रमांक 1298 दिनांक 23/06/2023 के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम अलवासा के सर्वे क्र. 178/228/1 रकबा 04 हे. स्वीकृत खनन क्षेत्र रेवती फायरिंग रेन्ज में नहीं आता है एवं उक्त भूमि के ग्रीन बेल्ट में होने या नहीं होने संबंधी जानकारी संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय से लिया जाना उचित होगा।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र ग्रीनबेल्ट एरिया से संबंधित है या नहीं है इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा कोई भी संतोषजनक जानकारी पोर्टल पर एवं स्वयं प्रस्तुत नहीं की अतः समिति ने उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/449803/2022, Case No. 10964/2023 Prior Environment Clearance for Stone Deposit (Open cast semi mechanized method) in an area of 2.00 ha. for production capacity 21945 cum per year at Khasra No. 323, in Village-Pali, Tehsil- Chitrangi, District- Singrauli (MP) by Shri Vijay Bais S/o Ram Lallu Vaishya, Owner, Ward No. 13, House No. 1 to 233, Village-Chingo, Post-Pateri, Near Government School, Chitrangi, District Singrauli (MP)-486892

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 841वी बैठक दिनांक 03.11.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


“राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक SEAC के समक्ष बार-बार प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में रूचि नहीं ली जा रही है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने के पूर्व अभिमत हेतु SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण सेक की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 , 784वीं बैठक दिनांक 09/04/2025 तथा 841वीं दिनांक 03/11/25 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्षा/ऑनलाइन उपस्थित नहीं हुए। समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 841वी बैठक दिनांक 03.11.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अग्रवाल)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

7. Proposal No. SIA/MP/MIN/449873/2022, Case No.11220/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry(Open cast Semi-mechanisedmethod) in an area of 2.00 ha. for production capacity of 11775 cum per year, at Khasra No. 1054/1/1/1, 1054/1/2, 1948/1054/1, Village-Berasia, Tehsil-Narsingharh, District-Rajgarh (MP) by Shri Devlal, Lessee, Ward No. 01, Village-Mana, Post- Mana, Tehsil-Narsingad, District-Rajgarh (MP)-465667

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 847वी बैठक दिनांक 24.11.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


“पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त संवेदनशील बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानवार मापदंड अनुसार गैर खनन क्षेत्र छोड़ने पर लीज क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत भाग खनन योग्य उपलब्ध होता है जो कि आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता है।

समिति द्वारा उपरोक्त बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा नहीं है, अतः प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु सिया को अग्रोषित किया जाये।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 847वी बैठक दिनांक 24.11.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अग्रवाल)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. Proposal No. SIA/MP/MIN/553463/2025, case no. P2/789/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised method) in an area of - 3.00 ha., for production Capacity of Stone (Gitti) - 50,000 m³/year & Overburden - 22404 m³/year, at Khasra No.- 1/1 Min-2 & 1/2 Peki, Village - Chapda, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.) by Shri Karan Singh Thakur, Director Prathvi Infrastructure Pvt. Limited, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1962 दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से दिनांक 09.04.2028 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.04.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 20 वृक्षों में से काटे जाने वाले 10 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 100 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं वृक्षों के काटने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/553612/2025 Case No. P2/793/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-mechanised method), in an area of - 4.80 ha., Stone (Gitti) 1,00,000 m³/year & OB Max. 41,320 m³/year, at Khasra No.- 303, Village - Deopipaliya, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.) by Shri Karan Singh Thakur, Director Prathvi Infrastructure Pvt. Limited, R/o- 23 Royal Residency Indore, District Indore, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वीं बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वीं बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1929 दिनांक 07.10.2023 के माध्यम से दिनांक 01.11.2027 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.11.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 25 वृक्षों में से काटे जाने वाले 10 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 100 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं वृक्षों के काटने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनेरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।



(दीपक अग्रवाल)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (v) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अग्रवाल)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वीं बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/561877/2025, Case No. – P2/2187/2025 Prior Environmental Clearance for Soil Quarry (Open cast Semi-mechanised method) in an Area – 1.160 ha, at Khasra no. 150/1, Village - Prempura, Tehsil – Sheopur, District – Sheopur (M.P.) by Mohammad Javed S/o Aqil Ur Rehman Lessee, Karbala Road, Gulaiya, Mohalla, Ward No.- 19, Sheopur (M.P.) – 476337

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वीं बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वीं बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर द्वारा आदेश क्र. 6926 दिनांक 21.05.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.05.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/553794/2025, Case No. P2/2188/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Semi-mechanised method), in an area of 1.00 ha., for production capacity 10002 cum per annum, at Khasra No. 20, Village - Sirchopi Tehsil - Bina District - Sagar (M.P.) by Shri Pushendra Dangi, Owner, R/o - Gram - Sirchopi, Tehsil - Bina, District - Sagar (MP)-470013

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान क्षेत्र कृषि भूमि के बीच-बीच स्थित है जिसमें खेती होना भी परिलक्षित है। चूंकि उक्त खदान का रकबा 1.0 हेक्टेयर है और कृषि क्षेत्र (खेतों) से निर्धारित दूरी 25 मीटर चारों ओर से छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। इसके बावजूद भी SEAC द्वारा प्रकरण में किस आधार पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



12. Proposal No. SIA/MP/MIN/554701/2025 Case No. P2/2189/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Semi-mechanised method), in an area of 1.90 ha. for production capacity Stone- 4106 Cubic Meter Per Year, Boulder- 912 Cubic Meter Per Year, Murrum- 5018 Cubic Meter Per Year & M-Sand- 35583 Cubic Meter Per Year, at Khasra No. 3317 Village - Tigoda Tehsil - Shahagarh District - Sagar (M.P.). by Shri Jaihind Pratap Singh, Owner, Village - Tigoda Post - Tigoda District - Sagar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर द्वारा आदेश क्र. 618 दिनांक 17.04.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.04.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अनंद)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(श्री नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



13. Proposal No. SIA/MP/MIN/554652/2025, Case No. 11118/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 50,000 cum per annum, at Khasra No. 988/Min-1, 1000, Village-Kuchdod, Tehsil –Jeeran, District -Neemuch(M.P.) by Smt. Sanjubala Tiwari, Lessee, R/o Village Javi, Tehsil - Neemuch, District- Neemuch (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच द्वारा आदेश क्र. 865 दिनांक 03.06.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.06.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/556086/2025 Case No 11174/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-mechanised method), in an area of 4.00 ha., for production capacity of 50000 cum per year, at Khasra No. 1000, 1093, 1101, Village-Kunchdod, Tehsil-Jiran, District- Neemuch (MP) by Shri Aditya Soliwal, Partner, M/s Shreenathji Enterprises, R/o 12, Bhagat Singh Gali, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP)-458330

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 120 दिनांक 25.01.2023 के माध्यम से दिनांक 16.06.2026 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.06.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/560429/2025 Case No. P2\1052\2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open cast Semi-mechanised method), in an area of 2.00 ha., for production capacity 15,000 m³/year & Saleable overburden 7,895 m³/year, at Khasra No. 289/min-34, at Village- Digaonmali, Tehsil-Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.) by Shri Radha Dingor, Lessee, R/o-Village Digmawali, Tehsil Mandsaur, District- Mandsaur, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 862वी बैठक दिनांक 20.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" After presentation committee observed following lackings in the case:-


- ELA report ToR point 27 reply is not proper. Fig 3-13 one of the photograph do not match with base line data period. SW1 to SW5 analysis report reveals MPN but FC coliform is reported absent ?
- EIA report do not include LoI, Ekal, CTE, mining plan and base line data reports and geotag photographs.
- The mining lease validity documents available on portal do not reveal the proper time line sanctioned obtained for extension periods and the mining lease is not valid at present.


In view of above lackings the case cannot be recommended for grant of EC."

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष स्पष्टीकरण दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/519867/2025 Case No.-P2/751/2024 Prior Environment Clearance for Bhudkud- 1 Sand Deposit, in an area of 4.00 ha. for production capacity of 42353 cum per annum, at Khasra No. 1536, Village - Bhudkud, Tehsil - Mada, District - Singrauli (M.P.) by Shri Yodha Umare M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 862वीं बैठक दिनांक 20.01.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

"..... Parivesh portal document available in the name of title "replenishmentstudy.pdf" does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. The Env. Consultant submitted that replenishment study part is not covered within their scope of work. Hence this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study.

In view of compliance of the H'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done i.e. the directions wrt replenishment study in the state from any reputed government institutions viz. IITs, ISMDhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया हैं, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रप्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17. Proposal No.SIA/MP/MIN/519935/2025 Case No. - P2/746/2024 Prior Environment Clearance for Bhudkud-2 Sand Deposit, in an area of 4.00 ha. for production capacity of 43637 cum per annum, at Khasra No. 1536, Village - Bhudkud, Tehsil - Mada, District - Singrauli (M.P.) by Shri Yodha Umare M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 862वी बैठक दिनांक 20.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" The query reply is found satisfactory, however the H'ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available in the name of title "replenishmentstudy.pdf" does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. The Env. Consultant submitted that replenishment study part is not covered within their scope of work. Hence this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study.

In view of compliance of the H'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done i.e. the directions wrt replenishment study in the state from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया हैं, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/520040/2025 Case No. - P2/740/2024 Prior Environment Clearance for Khajuri Sand Deposit, in an area of 4.00 ha. for production capacity of 43680 cum per annum, Khasra No. 1880, Village - Khajuri, Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (M.P.). by Shri Yodha Umare M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 862वी बैठक दिनांक 20.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" The query reply is found satisfactory, however the H'ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available in the name of title "replenishmentstudy.pdf" does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. The Env. Consultant submitted that replenishment study part is not covered within their scope of work. Hence this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study.

In view of compliance of the H'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done i.e. the directions wrt replenishment study in the state from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."


उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया हैं, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रप्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/552655/2025 Case No.-2181/2025 Prior Environmental Clearance for Murram Quarry (Open cast Semi-mechanised method), in an area 1.50 Ha., for Production Capacity of 15,000 cubic meters per year, at Khasra No: 415/4/1, at Village: Modal, Tehsil Kurwai, District Vidisha (M.P.) by Shri Deep Chand Sapre, Proponent, Village- Modal, Tehsil- Kurwai, District- Vidisha(M.P.)- 464224

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 862वी बैठक दिनांक 20.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 862वी बैठक दिनांक 20.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा द्वारा आदेश क्र. 3018 दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष




राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिब नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/557954/2025, Case No P2/2182/2025 Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry (Open cast Semi-mechanised method), in an area of 2.85 ha., for Production Capacity of 70012 Tons per Annum, at Khasra No. 90, Village- Bhaganwara Tehsil- Badwara District Katni (M.P.) by Shri Ashok Goenka, Owner, R/O Station Road, Katni, District - Katni (M.P)


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 862वी बैठक दिनांक 20.01.2026 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"The committee observed that in this case deemed TOR was communicated. Since related case is pending before Hon'ble Supreme Court of India, at sub-judicious stage, hence this case shall be considered on decision or any further guidance from M.P.SEIAA".

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में Deemed ToR प्रकरण क्रमांक P2/590/2024 पर जारी किया गया था जबकि ईआईए हेतु परिवेश पोर्टल पर प्राप्त आवेदन में SEAC समिति द्वारा नया प्रकरण क्रमांक P2/2182/2025 अंकित किया गया है जबकि जिस प्रकरण क्रमांक पर ToR जारी किया जाता है उसी प्रकरण क्रमांक पर ही पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो फिर इस प्रकरण में SEAC द्वारा नया प्रकरण क्रमांक क्यों जारी किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि Deemed Approval से संबंधित प्रकरणों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसके अनुसार जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं होता तबतक Deemed Approval के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः SEAC को अग्रहित किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

21. Proposal No. SIA/MP/MIN/556517/2025, Case No. P2/1500/2025 Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.625 ha., for production capacity of 40,570 Metric Ton Per Year, at Khasra No. Survey No. 173/1,176/5, 184, 195,196, in Village; Gandhwani, Tehsil Gandhwani, District- Dhar, (M.P) by M/s Samarth Lime Industries, Proprietor – Shri Gourav Kushwaha, Kushwaha Mansion, Adarsh Colony, District – Katni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 857वी बैठक दिनांक 05.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 934वी बैठक दिनांक 02.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“..... प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के हस्ताक्षर नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार पर्यावरण सलाहकार का हस्ताक्षरित शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 857 वी बैठक दिनांक 05.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल द्वारा LOI क्र. 6033/2246934/2024/12-1 दिनांक 14.10.2024 के माध्यम से 50 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले वाटर बॉडी, आईसोलेटे हाउस एवं नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 938वी बैठक दिनांक
16.02.2026 का कार्यवाही विवरण

22. Proposal No. SIA/MP/MIN/551588/2025, Case No. P2/1407/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha., for production capacity of 12825 M3 / year, at khasra no. 240 P, Village Malikhedi, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.) by M/s G. S. Minerals, E-13, BDA Salaiya, Bhopal(MP) 462026

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"..... प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में लीज हस्तांतरण आदेश की प्रति एवं लीज की वैधता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त खदान कितनी अवधि के लिये स्वीकृत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 323 दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से दिनांक 21.03.2028 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता दिनांक 21.03.2028 तक वैध मान्य रहेगी।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन सक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।


(दीपक सिंह)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशासित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



23. Proposal No.SIA/MP/MIN/543185/2025, Case No. P2/1819/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.150 ha., for Production Capacity of Stone- 19,950 cum per year, at Khasra No. 55/1, 55/2, 56/2, at Village- Goradiya, Tehsil-Pandhana, District- Khandwa (M.P.) by Shri Nagin Bansal R/o- House no-13, Madhav Lal Lakshminarayan Marg Ramkrishan Ganj ward no-18, purani anaj mandi ki pichhe, District- Khandwa (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"..... प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज एवं पी.एम. गतिशक्ति पोर्टल पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड खदानों के विवरण अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान श्री भागचंद नेमनानी के नाम से स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है, जबकि खनिज अधिकारी जिला खण्डवा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र क्र. 908 दिनांक 11.10.2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है का उल्लेख किया गया है एवं उक्त एकल प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित भी नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत कलेक्टर जिला खण्डवा से उक्त खदान का स्थल निरीक्षण उपरांत 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में कितनी खदानों स्वीकृत/संचालित हैं। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।


परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से जिला खनिज अधिकारी द्वारा जारी संशोधित एकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि प्रकरण में ADS के माध्यम से प्राप्त जानकारी कलेक्टर जिला खण्डवा से अनुमोदित नहीं है और न ही उक्त खदान का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न किया गया है। PM गतिशक्ति पोर्टल पर खनिज विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में श्री भागचंद नेमनानी की खदान रकबा 2.85 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित है जबकि एकल प्रमाण पत्र में उक्त खदान 2.60 हेक्टेयर की होना बताई गई है दोनों में विरोधाभास है।

अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला कलेक्टर खण्डवा से 15 दिवस में प्राप्त किये जाने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

24. Proposal No. SIA/MP/MIN/551260/2025, Case No. P2/1363/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha. for Production Capacity of 21118 M3 / year, at Khasra No. 211, 212 P, Village Malikhedi, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.) by M/s G. S. Minerals, E-13, BDA Salaiya, Bhopal (MP) 462026

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 934वी बैठक दिनांक 02.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“..... प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में लीज हस्तांतरण आदेश की प्रति एवं लीज की वैधता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त खदान कितनी अवधि के लिये स्वीकृत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 302 दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से दिनांक 25.02.2029 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता दिनांक 25.02.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Shiv

- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

25. Proposal No. SIA/MP/MIN/551635/2025, Case No. P2/1406/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha., for Production Capacity of 28121 M3 / year, at Khasra No. 237, 238, 239 P, Village Malikhedi, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.) by M/s G. S. Minerals, E-13, BDA Salaiya, Bhopal (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 934वी बैठक दिनांक 02.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“..... प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में लीज हस्तांतरण आदेश की प्रति एवं लीज की वैधता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त खदान कितनी अवधि के लिये स्वीकृत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 312 दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से दिनांक 28.01.2029 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता दिनांक 28.01.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नरसिंह सिंह चौहान)
अध्यक्ष



- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह बौहान)
अध्यक्ष

